<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा भाविप्रा को 07 हवाईअडडों पर क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016) लागू करने के सलाह दिया।

नई दिल्ली, 04.07.2016 – राष्ट्रीय नागर विमानन योजना की घोषणा 19 जून, 2016 को हुई थी तथा ड्राफ्ट क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) 1 जुलाई, 2016 को घोषित हुई।

श्री महेश शर्मा, माननीय राज्य मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय ने सचिव, नागर विमानन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार व भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की । बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास की प्रगति तथा उत्तर प्रदेश के हवाईअड्डों पर आर सी एस लागू करने के संबंध में चर्चा करना था। इससे पूर्व, भाविप्रा ने 24.02.2014 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके तहत 7 स्थानों आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में हवाईअड्डे/ सिविल एन्कलेव विकसित करना तय हुआ था। इसके लिए भाविप्रा मास्टर प्लान बन चुका है तथा राज्य सरकार से भूमि प्राप्त की जानी है। राज्य सरकार भूमि अधीग्रहण प्रक्रियाएं आरम्भ कर चुकी है तथा आगरा, इलाहाबाद, बरेली और कानपुर के लिए अक्तूबर, 2016 तक भूमि उपलब्ध हो जाएगी। इन स्थानों पर नो फ्रिल हवाईअड्डे/सिविल इन्कलेव बनाने का निर्णय लिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए , राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि मेरठ, फैजाबाद और मुरादाबाद के लिए आवश्यक भूमि की फिर से गणना की जाए। पूरे मास्टर प्लान को एक माह की समयावधि के भीतर संशोधित किया जाए ताकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं शुरु कर सके। जेवर हवाईअड्डे के लिए, राज्य सरकार ने कार्य स्थल अनापत्ति हेतु संचालन समिति के सम्मुख आवेदन कर दिया है। यह परामर्श दिया गया कि राज्य सरकार बाधा सर्वेक्षण को शीघ्र सम्पन्न करे ताकि कार्य स्थल अनापत्ति हेतु आवेदन पर कार्रवाई की जा सके। माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकार अधिकारियों से यह कार्य शीघ्रता से करने के लिए कहा।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें
म.प्र. (जनसंपर्क) 9811521881, 011-24622787,
सं. 20/2016-17